UPSH010004412024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज, (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), कोर्ट संख्या–02, शाहजहॉपुर।

वारण्ट एण्ड सम्मन किमिनल केस नं0–15/2024

रामऔतार बनाम रक्षपाल एवं अन्य।

दिनांक–06.05.2025

आज यह पत्रावली अभियुक्तगण को तलब किये जाने के सम्बन्ध में आदेश हेतु नियत है।

संक्षेप में परिवाद–पत्र के अनुसार परिवादी का कथन हैं कि दिनांक 20.10.2023 को समय करीब 04:00 बजे सायं परिवादी, उसकी पत्नी अनीता देवी व उसका लड़का आलोक कुमार घर पर थे, तभी गॉव के रक्षपाल, राजवीर, पिंकू, गॉधी, छोटे, चरन व करन जाति सामान्य (ठाकुर) उसके दरवाजे पर चढ़कर आ गये और कहने लगे साले चमट्टा बार–बार मेरे खिलाफ खेत लेने के लिये प्रार्थना पत्र देता है। उसने जातिसूचक गाली देने से मना किया तो उक्त सभी लोग एकराय होकर उसे मारने–पीटने लगे। वह जान बचाकर घर में घुस गया तो घर में मौजूद, उसकी पत्नी, लड़का व चीख पुकार की आवाज सुनकर मोहल्ले के वीरपाल, सुरेश पाठक, सोनेलाल, रविन्द्र, रामसागर आदि लोग आ गये, जिन्होंने बचाया। उक्त लोगों ने उसकी पत्नी को भी मारते–पीटते हुये कहा कि चमरिया साली तूने भी मेरे खिलाफ शिकायत की थी, अबकी बार अगर कोई शिकायत की तो पूरे परिवार को जान से मार दूॅगा।

परिवादी की ओर से धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं अपना सशपथ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0–1 वीरपाल एवं पी0डब्लू0–2 सोनेलाल को परीक्षित कराया गया।

परिवादी ने अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में संक्षेप में साक्ष्य दिया है कि ''घाटना चार माह पूर्व की है। शाम के 04:00 बजे थे। मैं घर के पास ही था। गॉव के किनारे हमारी जगह में, वहीं पर गया था। कलान में उसी जमीन की नाप–जोख कराने का कागज एस0डी0एम0 को दिया था। नाप–जोख का आदेश हुआ था। नाप–जोख लेखपाल आकर किये थे। रक्षपाल, राजवीर, पिंकू, छोटे, गॉधी, करन व चरन जमीन को लेकर रंजिश रखते हैं। ये लोग गाली गुप्ता दिये। मारे–पीटे थे। मुझे और मेरी पत्नी तथा लड़के को मारे–पीटे थे। डण्डा..घूंसे से मारे–पीटे और कुछ नहीं किये। गाली चमट्टा आदि भी दिये––''

परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 द्वारा परिवादी के कथन का समर्थन किया गया है।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार कलान के माध्यम से रिपोर्ट आहूत की गयी तो उनके द्वारा रिपोर्ट कागज संख्या–15ख/1 प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया कि प्रार्थिनी अनीता देवी ने कब्जे के सम्बन्ध में वाद योजित किया है तथा प्रार्थिनी का उसकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। परिवादी की पत्नी द्वारा सूची कागज संख्या–7ख के माध्यम से प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके परिशीलन से विदित होता है कि परिवादिनी की पत्नी ने विपक्षीगण द्वारा जबरन उसका खेत जोतने व डराने–धमकाने के सम्बन्ध में लगातार सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित किये हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य से भी प्रार्थिनी के कथनों की प्रथम दृष्टया पुष्टि हो रही है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षीगण द्वारा परिवादी के साथ गाली–गलौच व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित करते हुये, उसके एवं उसके परिजनों के साथ मारपीट की गयी तथा उन्हें जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित किया गया।

अतः परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 व उसकी ओर से धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 तथा परिवाद–पत्र के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विपक्षीगण

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2025.05.09 16:47:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रक्षपाल, राजवीर, पिंकू, गॉधी, छोटे, चरन व करन के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा–**323, 504, 506** भा0दं0सं0 व धारा–**3(1)(द)** व **3(1)(ध)** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का बनता पाया जाता है। अतः विपक्षीगण **रक्षपाल, राजवीर, पिंकू, गॉधी, छोटे, चरन व करन,** धारा–**323, 504, 506** भा0दं0सं0 व धारा–**3(1)(द)** व **3(1)(ध)** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **रक्षपाल, राजवीर, पिंकू, गॉधी, छोटे, चरन व करन** को धारा–**323, 504, 506** भा0दं0सं0 व धारा–**3(1)(द)** व **3(1)(ध)** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षण हेतु जरिये सम्मन नियत तिथि के लिए तलब किया जाता है।

परिवादी सूची गवाहान प्रस्तुत करे एवं तलबाना/आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांकः 28.05.2025 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/
स्पेशल जज (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कोर्ट संख्या–02, शाहजहॉपुर।